वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 199/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-03.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 03.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- कप्तानगंजः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 23.04.2025 को वादीनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 21.04.25 को समय करीब 4 बजे शाम के समय विपक्षी विकास शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा ने वादिनी की लड़की को बहला-फुसलाकर कही भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 100/25 धारा 87/137(2) BNS पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 अमन तिवारी द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में पीडिता को बरामद किया जा चुका है तथा अभियुक्त विकास शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के विरूद्ध प्रचलित है। तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवही करते हुए रवाना किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 03.06.2025 को उ0 नि0 अमन तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकास शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ काशी करवट मोड़ से समय 09.00 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- विकास शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र लगभग 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 100/25 धारा 87/137(2) BNS थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

02.थाना अतरौलिया: चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.06.2025 को वादी मुकदमा मु0 मोमताज पुत्र सौदागर अली ग्रा0पो0 कोयलसा थाना अतरौलिया द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 02.06.2025 को समय 06.00 बजे सुबह बूढनपुर सब्जी मंडी में अपने दुकान से 03 बोरी लहसुन (150 किग्रा) चोरी होने का जानकारी करने पर 1. ऋषभ गोस्वामी पुत्र योगेन्द्र गोस्वामी ग्राम बटेलीपुर रामनगर थाना आलापुर अम्बेडकर नगर 2. अनुप पुत्र बब्लू ग्राम भरौली थाना कप्तानगंज आजमगढ द्वारा चोरी गये 03 बोरी लहसुन के साथ पकड़े जाने व दोनों व्यक्तियों को थाने पर मय चोरी गये 03 बोरी लहसुन के लाने के संबंध में प्रा0पत्र दिया गया प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0185/25 धारा 303(2),317(2) बी.एन.एस बनाम 1. ऋषभ गोस्वामी पुत्र योगेन्द्र गोस्वामी ग्राम बटेलीपुर रामनगर थाना आलापुर अम्बेडकर नगर 2.अनुप पुत्र बब्लू ग्राम भरौली थाना कप्तानगंज आजमगढ के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 रामनिहाल वर्मा द्वारा संपादित किया जा रहा है ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 02.06.2025 को वादी मुकदमा मु0 मोमताज पुत्र सौदागर अली ग्रा0 पो0 कोयलसा थाना अतरौलिया द्वारा बूढनपुर सब्जी मंडी में अपने दुकान से चोरी हुये 03 बोरी लहसुन के बारे में जानकारी करने पर महराजगंज सब्जी मंडी से दो व्यक्ति के पास से चोरी गये 03 बोरी लहसुन को बरामद करने व अपने साथियों की मदद से दोनो व्यक्तियों को 03 बोरी लहसुन के साथ पकड कर थाने पर लाना जिसे उ0नि0 रामनिहाल वर्मा द्वारा अभियुक्तगण व माल को कब्जा पुलिस में लेकर अभियुक्तगण को उनके कृत्यों से बोध कराते हुये समय करीब 18.51 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 185/25 धारा 303(2)/ 317(2) BNS थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ऋषभ गोस्वामी पुत्र योगेन्द्र गोस्वामी ग्राम बटेलीपुर रामनगर थाना आलापुर अम्बेडकर नगर उम्र 19 वर्ष
2. अनुप पुत्र बब्लू ग्राम भरौली थाना कप्तानगंज आजमगढ उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास- 1. ऋषभ गोस्वामी पुत्र योगेन्द्र गोस्वामी ग्राम बटेलीपुर रामनगर थाना आलापुर अम्बेडकर नगर के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0 306/22 धारा 380/411 भादवि था मु0अ0सं0 185/25 धारा 303(2)/ 317(2) थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं0 114/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर

03.थाना मुबारकपुरः गैर इरादतन हत्या के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 02.06.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती रंजना देवी पत्नी स्व0 पवन आत्मा निवासिनी ग्राम मोईनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा सूचना प्रदान की गयी कि गयी कि आवेदिका के पति का बड़ा भाई संतोष कुमार पुत्र स्व0 शिवचन्द्र राम निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा आवेदिका के पति पवन आत्मा को दिनांक 29.05.2025 को जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर धकेल देना व ईट से मार देना जिससे वादिनी के पति गम्भीर रूप से घायल होने एवं दौराने इलाज मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 222/2025 धारा 105 BNS बनाम संतोष कुमार पुत्र स्व0 शिवचन्द्र राम निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 02.06.2025 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र स्व0 शिवचन्द्र राम निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को देवकली तारन मोड़ से समय करीब 17.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- संतोष कुमार पुत्र स्व0 शिवचन्द्र राम निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ पूछताछ का

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 222/2025 धारा 105 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ